[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 62/2021 - सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर , 2021

सा.का.नि. .... (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, रूस में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन या पीटीएफई, जो कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3904 61 00 के अंतरगत आता है, पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेती है और एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 6 जून, 2016, जिसे सा.का.नि. 574 (अ) दिनांक 6 जून, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/17/2021- टीओ (टीआरयू-I)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 23/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 6 जून, 2016 को सा.का.नि 574 (अ) दिनांक 6 जून, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. 22/2017- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 16 मई, 2017 जिसे सा.का.नि. 477 (अ), दिनांक 16 मई, 2017 के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था ।